पत्र संख्या-स्था0-2-पदावनत-मा0 सर्वोच्च न्यायालय-2015/ 2178 वाणिज्य कर

कार्यालय - कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना - अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 02 अगस्त, 2015,

::::कार्यालय ज्ञाप ::::

सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू0पी0पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 27-04-2012 एवं शासनादेश संख्या-8/4/1/20002 टी0सी0-1 का 2/2015 दिनांक 21-08-2015 के प्रस्तर-6(क) के अनुपालन में विभाग में तृतीय श्रेणी कार्मिक से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के नियम-8-क के प्राविधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करके दिनांक 15-11-97 से दिनांक 27-04-2012 के मध्य पदोन्नत हुए निम्नलिखित वाणिज्य कर अधिकारियों को स्तम्भ-3 में अंकित पद पर पदावनत किया जाता है :-

क्र0 सं0	पदावनत किये जाने वाले वाणिज्य कर अधिकारी का नाम/पदनाम/ तैनाती स्थान / पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पदावनत किये जाने वाले स्तर / वर्तमान पद का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्रीमती रेखा रानी, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-4, मेरठ। (लिपिक संवर्ग का ज्येष0क्रमांक-4547)	प्रशासनिक अधिकारी	एतत् पश्चात् आसन्न कनिष्ठ श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक ज्ये0क्र0-4548 के स्तर अर्थात वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनति अपेक्षित है।
2	श्री बलवन्त सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-2, ज्योतिवा-फूलेनगर (अमरोहा) (लिपिक संवर्ग का ज्येष0क्रमांक- 4433)	प्रधान सहायक	एतत् पश्चात् आसन्न कनिष्ठ श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी वरिष्ठ सहायक ज्ये0क्र0-4434 के स्तर अर्थात वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनति अपेक्षित है।
3	श्री अवनीश कुमार चौधरी, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-2, सिद्धार्थनगर (लिपिक संवर्ग का ज्येष0क्रमांक- 4564)	प्रधान सहायक	एतत् पश्चात् आसन्न कनिष्ठ श्री मणि शंकर पाण्डेय वरिष्ठ सहायक ज्ये0क्र0-4566के स्तर अर्थात वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनति अपेक्षित है।
4	श्री मोहन कुमार चौधरी, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बलिया। (लिपिक संवर्ग का ज्येष0क्रमांक- 4586)	प्रधान सहायक	एतत् पश्चात् आसन्न कनिष्ठ श्री अविनाश दीक्षित वरिष्ठ सहायक ज्ये0क्र0-4588 के स्तर अर्थात वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनति अपेक्षित है।
5	श्री मनोज कुमार चौधरी, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-3, सीतापुर। (लिपिक संवर्ग का ज्येष0क्रमांक- 4935)	प्रधान सहायक	एतत् पश्चात् आसन्न कनिष्ठ श्री अंकुश चौबे वरिष्ठ सहायक ज्ये0क्र0-4936 के स्तर अर्थात वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनति अपेक्षित है।
6	श्रीमती राजकुमारी, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-3, नोएडा। (आशुलिपिक संवर्ग का ज्ये0क्रमांक- 273)	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2,	इनसे आसन्न कनिष्ठ श्री शैलेन्द्र कुमार सक्सेना ज्ये0क्र0-274 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत है। अत: उनके स्तर तक पदावनति की गयी है।

7	श्री हरि कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-2, देवरिया। (आशुलिपिक संवर्ग का ज्ये0क्रमांक- 312)	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2,	इनसे आसन्न कनिष्ठ श्रीमती शशि रत्ती ज्ये0क्र0-313 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत है। अतः उनके स्तर तक पदावनति की गयी है।

2- शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के प्रस्तर-6 (ख) के उपबन्धो के अधीन उपर्युक्त पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूलवेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूलवेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियाँ (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हॉनि न हो इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूलवेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा वह वैयक्तिक वेतन के रुप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूलवेतन में वार्षिक वेतनवृद्वि के कारण मूलवेतन तथा वार्षिक वेतनवृद्वि तथा अन्य भत्तो सहित आधारित सकल वेतन में वृद्वि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियॉ तब तक फीज रहेगी जब तक की पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियॉ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाये। तद्नुसार उपर्युक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एवं ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रम परिवर्तित करने की कार्यवाही तत्काल की जाये।

3- आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरुप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेगें। पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त न होगा । अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही थी) के पद धारको द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नही की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ है। उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणाम स्वरुप जो रिक्तियॉ उपलब्ध होगीं उन पर उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।

2- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त पदावनत किये गये क्रमांक-1 से 5 तक के कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के प्रस्तर-6(क) के अनुसार उनसे कनिष्ठ कार्मिक के स्तर तक पदावनत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार अपने स्तर से पूर्ण कराकर शासन एवं इस अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

3 एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद/ मेरठ/ गोरखपुर / वाराणसी प्रथम, द्वितीय/ लखनऊ प्रथम, द्वितीय/ नोएड़ा को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त पदावनत किये गये कार्मिकों को उनके

वर्तमान पद से तत्काल कार्यमुक्त करके उन्हें अपने जोन में तृतीय श्रेणी के संबंधित संवर्ग के पद पर तैनात करने का कष्ट करें।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ / ज्योतिवाफूलेनगर (अमरोहा) / सिद्वार्थनगर /बलिया / सीतापुर / गौतमबुद्वनगर / देवरिया।

5- आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, मेरठ / ज्योतिवाफूलेनगर (अमरोहा) / सिद्वार्थनगर /बलिया / सीतापुर / गौतमबुद्वनगर / देवरिया ।

6- संबंधित अधिकारियों को नाम से।

7- स्थापना राजपत्रित अनुभाग (ज्येष्ठता पटल) को ज्येष्ठता सूची में अपेक्षित संशोधन कीं कार्यवाही हेतु।

2.9.2015

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।